**भारत सरकार**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग**

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 1070**

**28 जुलाई, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर**

**तमिलनाडु को एनएचएम निधि का संवितरण**

**1070 श्री प्रवीण चक्रवर्ती:**

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत तमिलनाडु के लिए अनुमोदित और जारी की गई निधि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) अनुमोदित निधि और वास्तविक रूप से जारी की गई निधि में किसी अंतर के क्या कारण हैं;
(ग) क्या केंद्रीय योजनाओं के अनुपालन से जुड़ी किन्हीं शर्तों के कारण निधि समय पर जारी नहीं की जा सकी;
(घ) निधियों के संवितरण में विलंब होने पर राज्यों के लिए अपील करने हेतु क्या तंत्र मौजूद है; और
(ङ) भविष्य में निधियों को जारी करने की समय-सीमा को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या कदम प्रस्तावित हैं?

**उत्तर**

**स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(श्री प्रतापराव जाधव)**

(क) से (ङ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा सभी नागरिकों को साम्यपूर्ण, किफायती तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। सरकार तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वास्थ्य अवसंरचना, स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं, विशेष रूप से अल्पसेवित एवं वंचित वर्गों के लिए उपलब्धता एवं पहुंच में सुधार हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अतएव तमिलनाडु सहित प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सभी नागरिकों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार की प्राथमिक

जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, से कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। भारत सरकार उपलब्ध संसाधनों तथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कार्यवाही अभिलेख (आरओपी) के माध्यम से इन प्रस्तावों को अनुमोदन प्रदान करती है। तमिलनाडु सहित प्रत्येक राज्य के लिए प्रदान किया गया अनुमोदन निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध कार्यवाही अभिलेख में संदर्भित है। https://nhm.gov.in/index1.php?lang=1&level=1&sublinkid=1377&lid=744

वित्त वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत तमिलनाडु राज्य को केंद्रीय निर्गत तथा व्यय का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपये में)

| वित्त वर्ष | केंद्रीय निर्गत | व्यय (राज्य के हिस्से सहित) |
|---|---|---|
| 2023-24 | 1,996.06 | 3,104.16 |
| 2024-25 | 1,742.67 | 3,461.74 |
| 2025-26 | 1,714.44 | 3,191.61 |

टिप्पणी:

1. व्यय में केंद्रीय निर्गत, राज्य का हिस्सा तथा वर्ष के प्रारंभ में उपलब्ध अव्ययित शेष राशि के लिए किया गया व्यय शामिल है। यह व्यय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वित्तीय निगरानी रिपोर्टों (एफएमआर) के अनुसार है तथा अनंतिम है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निधियों का निर्गत, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनमें तमिलनाडु भी शामिल है, को किया जाता है।

व्यय विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन तथा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन (पीएम-एबीएचआईएम) के अंतर्गत तमिलनाडु सहित विधानमंडल वाले 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनए-स्पर्श प्रणाली लागू की गई है। एसएनए-स्पर्श का उद्देश्य राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएफएमआईएस) तथा भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत नेटवर्क के माध्यम से केंद्र तथा राज्य की संचित निधियों से "जस्ट-इन-टाइम" सुनिश्चित करते हुए नकदी प्रबंधन को अधिक सुविधाजनक बनाना है।

******